

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2024—पौष 22, शक 1945

## भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2024

क्र. 83—मप्रविनिआ—2024.— चूंकि, मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 को मध्यप्रदेश के साधारण राजपत्र भाग-4 में दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया था;

चूंकि मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता 2023 के विनियम 2 के खण्ड (3) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित तारीख से प्रभावी होंगे;

और, इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 दिनांक 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगी.

आयोग के आदेशानुसार,  
उमाकान्त पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 8<sup>th</sup> January 2024

No. MPERC-83.- WHEREAS, the Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2023 was Published on 29<sup>th</sup> December 2023, in the Gazette of Madhya Pradesh [Part-IV, Section-4 (G)];

WHEREAS, the Clause (3) of Regulation 2 of the Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2023 provides that these Regulations shall come into force from such date as notified by the Commission;

AND NOW THEREFORE, its is notified that the Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2023 shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> February 2024.

By order of the Commission,  
UMAKANTA PANDA, Secy.